जनपद हमीरपुर

थाना–जरिया **दिनांक 17.09.2026**

थाना जरिया पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः

वादी मुकदमा जवाहर राजपूत पुत्र कमलापत निवासी ग्राम बिरवाही, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर द्वारा अपने भतीजे के साथ गाली-गलौज, लाठी-डण्डे से मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना जरिया पर दिनांक 31.08.2026 को मु0अ0सं0 157/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 105 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस कार्यवाहीः

दिनांक 17.09.2026 को थाना जरिया पुलिस क्षेत्र में मामूर थी। मुखबिर की सूचना पर राठ-उरई रोड, गोहाण्ड तिराहे से आगे रावतपुरा मोड़ के पास से मुकदमे में वांछित अभियुक्त **निर्देश राजपूत पुत्र नवीनचन्द्र निवासी ग्राम बिरवाही, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर, उम्र करीब 24 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः

निर्देश राजपूत पुत्र नवीनचन्द्र निवासी ग्राम बिरवाही, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहासः

1. मु0अ0सं0 309/2020 धारा 380/457 भा0दं0सं0, थाना जरिया।
2. मु0अ0सं0 78/2021 धारा 323/504 भा0दं0सं0 व 3(1)द,ध/3(2)(VA) एससी/एसटी एक्ट, थाना जरिया।
3. मु0अ0सं0 172/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जरिया।
4. मु0अ0सं0 341/2022 धारा 323/504/506 भा0दं0सं0, थाना जरिया।
5. मु0अ0सं0 157/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/105 बीएनएस, थाना जरिया।

गिरफ्तारी का स्थानः

राठ-उरई रोड, गोहाण्ड तिराहे से आगे रावतपुरा मोड़, बहद कस्बा गोहाण्ड ।

पुलिस टीमः

उ0नि0 दिशांत खोखर
का0 अजय सोनकर
का0 उमेश कुमार